12

दलित आन्दोलन

(Dalit Movement)

सोरोकिन ने कहा है कि प्रत्येक संगठित समाज स्तरीकरण में विभाजित है। संसार के सभी देशों में अपने प्रकार के स्तर हैं जिन्हें वार्ड कहता है 'द लो' निम्न। रोम में 'प्लेबियनस', स्पार्टन में 'हीलोट्स', अंग्रेजी में 'वीलेन्स', इजीपिशियन में 'गुलाम', अमेरिका में 'नीग्रो', जर्मन में 'ज्यूस'। हिन्दुओं में 'अस्पृश्य' और 'गिरीजन' हैं। हरिजन के अतिरिक्त सभी देशों में उपर्युक्त वर्ग समाप्त हो चुके हैं, केवल भारत में अभी भी अस्पृश्य हैं। यह इस बात का द्योतक है कि भारत में एक श्रेणी असुविधा भोगियों की है।[1] इस सुविधा भोगी श्रेणी को सामान्यतया पिछड़ा वर्ग की संज्ञा दी जाती है। इसकी भी तीन निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं–

1. अनुसूचित जनजातियाँ, गिरीजन्स Scheduled Tribes (Girijan)
2. अनुसूचित जातियाँ हरिजन्स Scheduled Castes (Harijans)
3. अन्य पिछड़ी जातियाँ Other Backward Castes

उपर्युक्त दो श्रेणियों को संविधान में सम्मिलित किया गया किन्तु, तीसरी श्रेणी को स्थान नहीं दिया गया है। इसे बहुत ही लचीले ढंग से कहकर टाल दिया गया कि यह न के बराबर सजातीय है।[2] वास्तव में, अनुसूचित जातियों में अधिकांश पिछड़ी अथवा शोषित जातियों के ही लोग हैं। यह वह वर्ग है जो आर्थिक सामाजिक स्तर पर समाज के आखिरी पायदान पर है। इसका जातियों में निम्नतम स्थान है। प्राचीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जातियों का हिन्दू व्यवस्था में एक दम पृथक स्थान था जैसे वे पांचवाँ वर्ण हो। वैदिक युग में इन्हें चन्डाल कहकर सम्बोधित किया जाता था। चन्डाल को अस्पृश्य जाति के रूप में ही देखा जाता था। पंतजली में चन्डाल के अनेक प्रकार मिलते हैं। मनु का कहना है कि चन्डाल जाति का जन्म प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। अंग्रेज इन्हें बाहरी जाति मानते थे। उन्होंने इन्हें **'अस्पृश्य जाति'** कहा। **1928 में साइमन कमीशन ने इस**

1. सी.एन. शंकर राव, सोसिअॅलाजी, पृष्ठ 640.
2. सी.एन. शंकर राव, सोसिअॅलाजी, पृष्ठ 640.

Scanned with CamScanner

शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया है जब कि गांधी जी इन्हें 'हरिजन' कहते थे। अर्थात ईश्वर के व्यक्ति।

उपर्युक्त अस्पृश्य जातियों से सम्बन्धित शब्द इस बात के द्योतक हैं कि संसार के लगभग सभी देशों में एक ऐसा वर्ग था जो समाज के निम्नतम स्थान पर रखा गया था। ये आदमी तो थे पर इन्हें मनुष्य माना नहीं जाता था। इनका जीवन गुलामों की तरह था। पशु से भी गिरी इनकी दशा था। समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। शताब्दियों तक इन्होंने सामन्तवादी व्यवस्था में दासों की तरह जीवन व्यतीत किया है और आज भी इनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी इनमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो चेतना जन्मी है वह अपने अस्तित्व और पहचान के लिये संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष को दलित आन्दोलन का नाम दिया गया है। इस आन्दोलन के माध्यम से इसने वर्ण व्यवस्था, और जाति व्यवस्था पर सीधे प्रहार किया है। जब तक ये व्यवस्थायें समाज से जड़-मूल से उखाड़ फेंक नहीं दी जातीं, तब तक समतामूलक और सर्वधर्म समभाव की स्थापना नहीं हो सकती है। जाति और धर्म के आधार पर समाज को ही नहीं विभाजित किया है, वरन् मनुष्यों को भी ऊंची-नीची श्रेणियों में विभाजित किया गया है जब कि ईश्वर एक है, उसने सभी को समान रूप से जन्म दिया है। इसलिये इस मानव निर्मित कुप्रथा का हर हालत में समाप्त किया जाना चाहिए। दलित आन्दोलन के केन्द्र में यही भावना समाहित है। इसीलिये एम.एस.ए.राव, ने कहा है कि संसार के विभिन्न भागों में वंचित वर्ग के लोग संगठित हो रहे हैं कि उन्हें रंग, धर्म, जाति, जनजाति आदि के आधार पर बांटा न जाय। ये अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। समाज में एक सम्मानित स्थिति बनाना चाहते हैं और चाहते हैं आत्म सम्मान।[3]

निश्चय ही इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिये ये मात्र संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं, वरन आन्दोलन करके सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है।

इधर लगभग एक दशक से विचार-विमर्श का दौर चल रहा है। स्त्री विमर्श पर तो जाने कितनी पुस्तकें लिख दी गयी हैं। ठीक इसी प्रकार दलित आन्दोलन को और शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 'दलित विमर्श' की अवधारणा भी गढ़ ली गयी है। दलित विमर्श में दलितों की समस्याओं व भावनाओं को केन्द्र में रखा गया है। इस संबंध में कँवल भारती लिखते हैं-

"..... दलित विमर्श सिर्फ एक जाति का विमर्श नहीं है, जैसी कि आम धारणा है कि किसी दलित समस्या को लेकर किया गया विमर्श ही दलित विमर्श है। यह धारणा गलत है। दलित विमर्श के केन्द्र में दलित समस्या को नहीं नकारा जा सकता। पर यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। इसके केन्द्र में दलित मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रीय मुक्ति का प्रश्न

3. एम.एस.ए.राव, सोशल मूवमेन्ट इन इन्डिया, पृष्ठ 191.

Scanned with CamScanner